संख्या– 1065/69–1–2019 – 14(235)/201[illegible]
टी०सी०

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

**नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।** **लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2019**

विषयः–**अंगीकार अभियान के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला स्तरीय निगरानी एवं समन्वय समिति (District Level Monitoring and Coordination Committee) का गठन एवं अंगीकार रिसोर्स परसन (ARP) नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि मा० मंत्री जी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.08.2019 को अंगीकार अभियान की शुरूआत की गयी है। इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली उज्जवला से लेकर उजाला जैसी योजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जोड़ा जाना है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबन्धन, जल और ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यानाकर्षण के साथ सामाजिक व्यवहार परिवर्तन तथा बुनियादी मुददों पर ध्यान केंद्रित करना है। अंगीकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से मिशन के सभी लाभार्थियों तक पहुँचना है। इसके तहत तय किए गए विषयों से निपटने वाली अन्य मंत्रालयों की योजनाओं और मिशनों को एक साथ जोड़ेगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को गैस कनैक्शन के लिए विशेष रूप से उज्जवला और स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत पर केन्द्रित किया जाएगा। योजना का लाभ पाने वालों के सामाजिक व्यवहार में बदलाव का प्रयास किया जाएगा।

2. सभी लक्षित शहरों में यह अभियान प्रारम्भिक चरण के बाद महात्मा गांधी की 150वी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2019 को प्रारम्भ होकर 10 दिसम्बर, 2019 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इसका समापन होगा। विभिन्न जागरूकता गतिविधियों जैसे डोर–टू–डोर अभियान, वार्ड और शहर स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

3. यह अभियान सामुदायिक सहयोग और आई०ई०सी० गतिविधियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए अन्य मंत्रालय की योजनाओं और मिशनों के साथ अभिसरण करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में गैस कनैक्शन के लिए उज्जवला

क्रमशः.....2 पर

योजना और स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। अंगीकार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सभी लाभार्थियों तक पहुँचना है।

4. अंगीकार अभियान हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी एवं समन्वय समिति (District Level Monitoring and Coordination Committee) का निम्नानुसार गठन किया जाना हैं:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य विकास अधिकारी / अपर जिलाधिकारी / परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण | उपाध्यक्ष |
| 3. | परियोजना अधिकारी, डूडा | सदस्य सचिव |
| 4. | समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय | सदस्य |
| 5. | निम्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी | |
| | (अ) वन विभाग | सदस्य |
| | (ब) अंक्षय ऊर्जा | सदस्य |
| | (स) जल संसाधन | सदस्य |
| | (द) खाद्य एवं रसद विभाग | सदस्य |
| | (य) स्वास्थ्य विभाग | सदस्य |

5. उक्त के अतिरिक्त अंगीकार अभियान हेतु अंगीकार रिसोर्स पर्सन का चयन किया जाना है। अंगीकार रिसोर्स पर्सन (ARP) का चयन सिविल सोसायटी ऑर्गनाइजेशन, सिटीजन लीडर्स, स्टूडेन्टस, वॉलन्टियर्स, एन0यू0एल0एम0 के कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन, आशा / आंगनबाड़ी वर्कर्स, ए0एन0एम0 एवं ग्राउण्ड लेवल स्टॉफ से किया जा सकता है।

6. अंगीकार रिसोर्स पर्सन (ARP) इस अभियान को आगे ले जाने और अभिसरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। इस अभियान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सभी लाभार्थियों को केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित कराया जायेगा और संवादों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान प्रदान किया जायेगा।

7. अंगीकार रिसोर्स पर्सन (ARP) द्वारा एक दिन में अधिकतम 10–12 आवासों का Need Assessment किया जायेगा। उनके द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से Need Assessment को सफलतापूर्वकं ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा, जिसके लिए उनको रू0 30 / – प्रति Need Assessment मानदेय देय होगा। इस अभियान में होने वाले व्यय का वहन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कैपिसिटी बिल्डिंग मद में आई.ई.सी., ए.एण्ड.ओ.ई. (प्रशासनिक) तथा प्रशिक्षण एवं कार्यशाला हेतु प्राविधानित बजट से किया जायेगा।

क्रमशः.....3 पर

8. सम्बन्धित निकाय के अधिशासी अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा और सीएलटीसी इंजीनियर्स द्वारा Need Assessment करने के लिए ए.आर.पी. की आवश्यक संख्या की गणना घरों और परियोजनाओं की संख्या के आधार पर की जायेगी। ए.आर.पी. का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उपरोक्त गठित जिला स्तरीय निगरानी एवं समन्वय समिति द्वारा किया जाना है।

9. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अंगीकार अभियान की सफलता हेतु जिलाधिकारी अपनी अध्यक्षता में प्रस्तर–4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार जिला स्तरीय निगरानी एवं समन्वय समिति (District Level Monitoring and Coordination Committee) गठित करने का कष्ट करें। साथ ही उपरोक्तानुसार दिनांक 31.09.2019 तक Angikar Resource Person (ARP) का चयन करते हुए निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें। अंगीकार अभियान की Reference Guide सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध है।

भवदीय

Manoj 24.9.19

**(मनोज कुमार सिंह)**
प्रमुख सचिव

**पत्रांक एवं दिनांक तदैव**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।

आज्ञा से,

**(अखिलानन्द ब्रहमचारी)**
अनु सचिव